हितधारकों के साथ भागीदारी बढ़ाने पर आधारित परामर्श पत्र पर आम लोगों द्वारा टिप्पणियां जमा करने की अंतिम तिथि को 30 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया गया

Posted On: 09 JUL 2021 4:44PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने *"हितधारकों के साथ भागीदारी बढ़ाना: तकनीकी सलाहकार समिति की रिपोर्ट (मार्च 2021)"* शीर्षक वाले अपने परामर्श पत्र पर टिप्पणी जमा करने की अंतिम तिथि को 10 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 30 जुलाई 2021 कर दिया है। परामर्श पत्र को https://nfra.gov.in/consultation_papers पर देखा जा सकता है।

टिप्पणियाँ या तो ईमेल द्वारा **comment-tac.paper@nfra.gov.in** पर जमा की जा सकती हैं या डाक द्वारा एनएफआरए कार्यालय को भेजी जा सकती हैं:

सचिव

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

7वीं मंजिल, एचटी हाउस

18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग

नई दिल्ली- 110001

<u>एनएफआरए के बारे में</u>

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) का **गठन** भारत सरकार द्वारा **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उप धारा (1)** के तहत 01 अक्टूबर, 2018 को किया गया था। एनएफआरए का मुख्य उद्देश्य जनहित और एनएफआरए नियम, 2018 के तहत शासित कंपनियों या कॉरपोरेट निकायों से जुड़े निवेशकों, लेनदारों और अन्य लोगों के हितों की रक्षा करना है। एनएफआरए लेखांकन और लेखा के लिए उच्च गुणवत्ता मानकों की स्थापना करता है और कंपनियों व कॉरपोरेट निकायों द्वारा किए गए लेखांकन कार्यों तथा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए लेखा कार्यों की प्रभावी निगरानी करता है।

परामर्श पत्र के बारे में

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने प्रमुख हितधारकों के दृष्टिकोण के बारे में एनएफआरए को इनपुट प्रदान करने तथा अन्य कार्यों के लिए एक तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की स्थापना की है। टीएसी ने अपने हितधारकों के साथ एनएफआरए की भागीदारी की समीक्षा करने के लिए एक परामर्श-अभ्यास शुरू किया है। मार्च, 2021 की अपनी रिपोर्ट में टीएसी ने हितधारकों के साथ एनएफआरए की भागीदारी को बढ़ाने के तरीकों की सिफारिश की है। टीएसी की महत्वपूर्ण सिफारिशों में शामिल हैं - सलाहकार/परामर्श समूहों का गठन, फेलोशिप कार्यक्रम शुरू करना, एनएफआरए की निरीक्षण नीति का प्रकाशन और एनएफआरए की नियामक क्षमता को बढ़ाना आदि। टीएसी की सिफारिशों पर अपने प्रारंभिक विचारों तथा प्रस्तावित कार्य योजना को शामिल करते हुए, एनएफआरए द्वारा परामर्श पत्र तैयार और प्रकाशित किया गया है।

****

एमजी/एएम/जेके/डीवी

(Release ID: 1734292) Visitor Counter : 254

Read this release in: English , Urdu , Marathi , Bengali